

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू  
राजाराम वगै० बनाम तहसीलदार पीपलू  
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.  
प्रकरण संख्या 58 सन् 2025

2025/172

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो द्वारा हुकम की तारीख में जारी हुए
12.05.25	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तालबी समन प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 12.05.2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)	
12.05.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कर्मी/प्रार्थी/उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में अस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली पर अवैधता अनुसार दिनांक 19.05.25 को पेश हो। Raj	
19.05.25	पत्रावली पेश हुई। उपपक्ष उप। तहसीलदार पीपलू से तथ्यांक रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली बहस दिनांक 20.05.25 को पेश हो।	
20.05.25	पत्रावली पेश हुई। उपपक्ष उप। उपपक्ष ने बहस का निवेदन दिया। बहस चुकी गई। पत्रावली का अनलोक किया गया व उपपक्ष की बहस पर मन्त किया जाकर पुस्तक प्रार्थन खारिज किया गया। निर्णय पृथक से लिखवाया गया, जो थापित है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल है एवं निपमानुसार नम्बर से कम हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)	